भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2534
उत्तर देने की तारीख-09/03/2026

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से समाज सुधारकों को हटा देना

2534. श्री अमरा राम:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामाजिक न्याय के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले को राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था और बाद में उन्हें पुनः शामिल किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसे निर्णय सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों के प्रतीकों का अनादर करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या केंद्र सरकार का विश्वविद्यालयों में डॉ. बी.आर. अंबेडकर, महात्मा फुले और अन्य समाज सुधारकों के बारे में अध्ययन को सुदृढ़ करने के लिए कोई ठोस दिशानिर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। विश्वविद्यालयों की स्थापना केंद्रीय अधिनियमों और राज्य अधिनियमों दोनों के तहत की जाती है। राजस्थान विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं जो अपने संबंधित अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों द्वारा शासित होते हैं। वे स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कार्यक्रम संचालित करते हैं और अपने संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों के अनुमोदन से अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं।

इसके अलावा, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में चेयर की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों और ज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर चेयर स्थापित किए जा सकते हैं।

*****